

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
- - 0 - -
//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/11/2024

क्रमांक 4297 एफ 1-3/2024/38-1 ::: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में कार्यरत निम्नलिखित पदोन्नत प्राध्यापकों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, स्नातक प्राचार्य के पद पर वेतनमान रूपये 37400-67000+10000/- ए.जी.पी. +2000 विशेष भत्ता में पदोन्नत कर, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये महाविद्यालय में अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है:-

क्र	पदोन्नत प्राध्यापकों के नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. तपेश चंद गुप्ता	शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर जिला- रायपुर	शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर जिला- रायपुर
2.	डॉ. (श्रीमती) रूबी मल्होत्रा	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर जिला- बिलासपुर	नवीन शासकीय महाविद्यालय, सकरी जिला- बिलासपुर
3.	डॉ. (श्रीमती) अभया रा. जोगलेकर	शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर, जिला-रायपुर	शासकीय मॉडल स्नातक महाविद्यालय अटारी रायपुर जिला-रायपुर

2/ उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी नवीन पदस्थापना स्थल में आदेश जारी होने के तिथि से 21 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा पदोन्नति लेने से इंकार किया माना जावेगा।

3/ उक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर डब्ल्यू.पी. (पीआईएल) क्रमांक 91/2019 एवं डब्ल्यू.पी. (एस) 9778/2019 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

14.11.2024
(राकेश कुमार ध्रुव)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

// 2 //

पृ० क्रमांक 4298 एफ 1-3/2024/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/11/2024
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
2. महालेखाकार, रायपुर (छ.ग.)
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4. आयुक्त, संभाग (छ.ग.)
5. मान. उच्च शिक्षा मंत्री जी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. संबंधित कलेक्टर
7. संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी,
9. संबंधित प्राचार्य,
10. संबंधित अधिकारी,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11. विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
12. आदेश फोल्डर

14.11.2024

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग